2019/00898

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 187/2019 निर्णय दिनांक :– 25-9-19

उनवान

1. आलोक यादव पुत्र स्व0 श्री गंगासहाय यादव उम्र 19 वर्ष जाति यादव निवासी ग्राम भोज्याडा, तहसील चाकसू जिला जयपुर, राजस्थान।

––प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

तहसीलदार चाकसू से प्राप्त पत्र कमांक/भू0अ0/2019/5771 दिनांक 18.09.2019 के द्वारा प्रार्थी आलोक यादव का प्रार्थना पत्र 136 का बाद जांच प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो प्रार्थी आलोक यादव पुत्र गंगासहाय [illegible] भोज्याडा का नाम जमाबंदी खाता संख्या 260 ग्राम [illegible] ग्राम निमोदीलालपुरा तहसील चाकसू की जमाबंदी खाता संख्या [illegible] में सूरज दर्ज है [illegible] दुरूस्त करवाये जान हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार चाकसू द्वारा सही नाम आलोक यादव पुत्र गंगासहाय किये जाने की अनुसंशा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

की गयी, इस प्रकार तहसीलदार की अनुसंशा की गयी, इस प्रकार तहसीलदार की अनुसंशा व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रार्थी का शपथ–पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड व पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम भौज्याडा की जमाबंदी के खाता संख्या 260 व ग्राम विनोदीलालपुरा की जमाबंदी के खाता संख्या 75 में प्रार्थी का नाम दर्ज सुरज के बजाय आलोक यादव पुत्र गंगासहाय शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जावे। निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड मे शुद्ध किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested